न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस

मुकदमा संख्या :– 245/2022

अनवान मुकदमा –

1. पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र आसकरण जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रियंका कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी राजवीर जाति जाट साकिन 42 एलएनपी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

- - प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री राजेन्द्र कुमार पटीर अधिवक्ता --- वादी
2. श्री शैलेन्द्र बिश्नोई अधिवक्ता --- प्रतिवादी सं. 1 ता 2

–:: निर्णय :–

दिनांक -17/06/2022

वादी ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादीगण का पंजीकृत एवं प्रमाणित पता वहीं है जो वाद पत्र के शीर्षक में है। सजरा खानदान पेश किया गया है।

प्रतिवादी सं.1 के नाम कृषि भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 26/63 के प.नं. 72/337 (7), प.नं. 73/337 (6), प.नं. 73/338 (9) की कुल 8.705 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1451/17410 हिस्सा व इसी चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 77/61 के प.नं. 72/337 (7) की 4.048 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकार्ड वाके है। नकल जमाबंदी सलग्न वाद पत्र किया गया है।

वाद पत्र की दफा 3 में वर्णित भूमि प्रतिवादी सं.1 को अपने पिता आसकरण से प्राप्त हुई है जो वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादी सं.1 जो कि वादी के पिता है व प्रतिवादी सं. 2 जो कि वादी की सगी बहन है। उक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत वादी व प्रतिवादीगण के मध्य अर्सा दराज पूर्व घरू बंटवारा हो चुका है। जिसमे प्रतिवादी सं.2 ने अपना तमाम हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं.1 के पक्ष में छोड़ दिया है वह इस भूमि में अपना हक व हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 77/61 के प.नं. [illegible] कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज [illegible] में से 0.2865 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी [illegible] सं. 26/63 के प.नं. 72/337 (7), प.नं. 73/337 [illegible] की कुल 8.705 [illegible] अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्र[illegible]दी सं.1 के नाम दर्ज 1[illegible]10 हिस्सा यानी 0.7255 हैक. भूमि इस प्रकार कुल 1.012 हैक. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी वादी को प्राप्त हुई है। वादी अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:11:37 IST
Reason: SelfAttested

17.06.2022

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

पर शान्तिपूर्वक काबिज होकर काश्त करता आ रहा है परन्तु वादी को प्राप्त भूमि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज होने के कारण वादी की हकूक खातेदारी पर विपरीत असर पड़ता है। इसलिये वादी घोषणा प्राप्त करने के हकदार है।

वादी नें प्रतिवादीगण को कई दफा कहा कि वह वादी को घरू बंटवारा में प्राप्त भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार मानते हुए राजस्व रिकार्ड में अकंन करवा देवे तो वे कुछ दिन तो टाल मटौल करते रहे परन्तु अब वह 7 रोज पूर्व ऐसा करने से बिल्कुल मना हो गये बस यही वाद कारण है।

वाद पत्र श्रीमान् न्यायालय के क्षेत्राधिकार एंव श्रवणाधिकार का है जो उचित कोर्ट फीस पर तहरीर एवं अन्दर मियाद है।

अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वाद वादी निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे :-

घोषित किया जावे कि प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज कृषि भूमि चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 77/61 के प.नं. 72/337 (7) की 4.048 हैक्. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से 0.2865 हैक्. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी व चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 26/63 के प.नं. 72/337 (7), प.नं. 73/337 (6), प.नं. 73/338 (9) की कुल 8.705 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1451/17410 हिस्सा यानी 0.7255 हैक्. भूमि इस प्रकार कुल 1.012 हैक्. कमांड अनकमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी का वादी खातेदार काश्तकार है।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी सं. 1 व 2 मय अधिवक्तागण न्यायालय में हाजिर आये। उभयपक्ष के वकीलों द्वारा पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित तहरीरशुदा राजीनामा अदालत हाजा के समक्ष पेश किया और प्रार्थना की गई कि दोनो पक्षों में राजीनामा हो चुका है। राजीनामा तस्दीक फरमाया जाकर वाद को डिक्री फरमाया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पर उभयपक्ष की पहचान जरिये अधिवक्ता व जरिये दस्तावेज की गई। पहचान सिद्व होने पर राजीनामा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड ऑफ रेवन्यु) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवं आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौते के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है।

एआईआर 1976 एससी 807 के अनुसार यदि हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया हो।

आदेश :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:11:37 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्तागण की बहस [illegible] या। वादी एवं प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली मे प्रस्तुत [illegible] गया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का [illegible] या। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित कृषि [illegible] वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 की पैतृक खातेदारी भूमि है जो जद्दी जायदाद होने के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। राजीनामा के आधार पर राजस्थान

17.06.2022
सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित भूमि तहसील पीलीबंगा के चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 77/61 के प.नं. 72/337(7) की 4.048 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से 0.2865 हैक. व चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 26/63 के प.नं. 72/337(7), प.नं. 73/337(6), प.नं.73/338 (9) की कुल 8.705 हैक. में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1451/17410 हिस्सा यानी 0.7255 हैक. भूमि इस प्रकार कुल 1.012 हैक. खातेदारी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद किया जावे। आदेशानुसार डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:11:37 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6–7, जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर, पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– श्री रणजीत कुमार आरएएस
मुकदमा संख्या :– 245/2022
अनवान मुकदमा –

1. पवन कुमार पुत्र मोहनलाल जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

-- वादी

बनाम

1. मोहनलाल पुत्र आसकरण जाति जाट साकिन पण्डितावाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. प्रियंका कुमारी पुत्री मोहनलाल पत्नी राजवीर जाति जाट साकिन 42 एलएनपी भोमपुरा तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

– – प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा.का.अधि. बाबत घोषणा :–

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 17/06/2022

वादी की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटीर, एडवोकेट एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 2 की ओर से श्री शैलेन्द्र बिश्नोई, अधिवक्ता इस वाद में आज दिनांक को रणजीत कुमार आरएएस उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा एवं पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 की धारा 88 के अन्तर्गत वाद में वर्णित कृषि भूमि चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 77/61 के प.नं. 72/337(7) की 4.048 हैक. कमांड मय गैर मुमकिन खाला खातेदारी में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1/2 हिस्सा में से 0.2865 हैक. व चक 42 एनडीआर के मु. खाता सं. 26/63 के प.नं. 72/337(7), प.नं. 73/337(6), प.नं.73/338(9) की कुल 8.705 हैक. में प्रतिवादी सं.1 के नाम दर्ज 1451/17410 हिस्सा यानी 0.7255 हैक. भूमि इस प्रकार कुल 1.012 हैक. खातेदारी कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार(राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि पर किसी अन्य न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक 17/06/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17.06.2022

(रणजीत कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ranjeet Kumar
Date: 2022.06.24 16:11:37 IST
Reason: SelfAttested